



कायालय

अधिशासी अभियन्ता

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि।
विद्युत वितरण खण्ड-शाहाबाद, हरदोई

Phone & Fax No: 05852-261000,
E-mail : eddshahinbad.hardoi@gmail.com

ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ: 15059 / ਵਿਧਿਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹਿਰ / ਪੀਏਫ਼ੋ

दिनांक : 1 | 3 | 2024

कार्यालय झाप

कायालय ज्ञाप
 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के आदेश संख्या 469-चौदह/पाकालि/2015-16 के/2015 निदेशक (वितरण) दिनांक 25.04.2015 एवं पञ्च संख्या 696-कार्य-चौदह/पाकालि/2015/निदेशक (वितरण) दिनांक 29.06.2015 में प्रदत्त अधिकारी के अनुपालन में आपके निजी नस्तकूप पोर्टल आवेदन क्रमांक 1008360251 के सामने में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर विद्युत भार एवं धनराशि जमा करने हेतु शीक्षित दान की जाती है-

आपके निजा नलकूप पालस आवयन प्राप्ति का रिपोर्ट						
स्थीकृति दान की जाति है-		आवेदन क्रमांक	स्थीकृत गार	श्रेणी	प्रयोजन	रशीद सं/ दिनांक
क्र0स0	आवेदक का नाम व पता	आवेदन क्रमांक	स्थीकृत गार	श्रेणी	प्रयोजन	रशीद सं/ दिनांक
1	श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री राम नरायण निं० ग्राम व पौ० गदाईपुर विधान सभा क्षेत्र, हरदोई।	1008360251	8 HP	LMV-5	निजी नलकूप	VIC42175317325/ 16.12.2023

उपरोक्त विद्युत भार की स्थीकृति तथा उसका अवमुक्त करना निम्नलिखित शर्तों/प्रतिवर्णों के अधीन है-

सामग्री का मूल्य	₹0	88762.00
मीटर की कीनत	₹0	2921.00
मीटर लेबर चार्ज	₹0	2036.00
प्रतिभूति धनराशि	₹0	<u>2400.00</u>
जमा करने हेतु कुल धनराशि	₹0	<u>96119.00</u>

धनराशि शब्दों में— (छियानवे हजार एक सौ उन्नीस रुपये मात्र)

नियम व शर्ते-

- नियम व शर्ते-

 - विद्युत प्रणाली ओवरलोड होने के कारण इस दशा की पूरी सम्भावना है कि इकाई की कुल विद्युत आपूर्ति के ब्रेकडाउन लोडशेडिंग तथा लो गोल्टेज की समस्याएं विद्यमान रहें।
 - इस आदेश के निर्गत होने से दो वर्ष की अवधि में उपभोक्ता द्वारा ऊपरलिखित विद्युतभार उपभोग न करने की दशा में भी उक्त स्वीकृतभार खत्त निरस्त मान लिया जायेगा।
 - यह स्वीकृति इस शर्त के साथ भी प्रतिवधित है कि उपभोक्ता को इस विद्युतभार के उपभोग के पूर्व उ0प्र० प्रदूषण नियंत्रण में परिषद (यूपी० पायलूजनकन्ट्रोल बोर्ड) विभाग से सक्षम अधिकारी द्वारा लाइसेंस (यदि आवश्यक हो) भी प्राप्त कर इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
 - यदि उपभोक्ता के पक्ष में उक्त विद्युत भार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है तो उस दशा में यह आदेश निरस्त माने जायेंगे।
 - उक्त संयोजन को विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन के नियमों के अन्तर्गत की जायेगी, परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा हेतु समय-2 पर आवश्यकतानुसार रोटिंग तथा आपात कालीन रोटिंग की जा सकती है।
 - विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन के लागूरेट शेड्यूल में निहित वोल्टेज पर ही दी जायेगा।
 - उक्त विद्युत भार किसी भी दशा में कारपोरेशन को किसी भी द्रुंक लाइन को टेप करके अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी दशा में शहरी पोषक की नगरपालिका/नगरमहापालिका/टाउन ऐरिया की सीमा से बाहर बढ़ाकर विद्युतभार अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
 - स्वतन्त्र पोषक द्वारा विद्युतभार अवमुक्त करने हेतु कारपोरेशन द्वारा समय-2 पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - यदि कालन 2 में उल्लिखित परिसर/इकाई पर अथवा उपभोक्ता के नाम से पहले कोई कनेक्शन रहा हो तो उक्त स्वीकृत भार तब तक नहीं विमुक्त (रिलाइज) किया जायेगा, जब तक उस पुराने कनेक्शन अथवा उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया कारपोरेशन ने धनराशि (यदि कोई लां) का पूरा भुगतान न कर दिया जाये।
 - यदि उक्त इकाई/उपभोक्ता और परिषद के मध्य कोई न्यायाधिक विवाद अथवा कोर्ट के सलम्भित हो तो उस दशा में भी विद्युतभार विमुक्त (रिलाइज) नहीं किया जायेगा।
 - कारपोरेशन द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात ही विद्युतभार विमुक्त किया जायेगा।
 - कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्युत आपूर्ति स्वतन्त्र पोषक (इन्डेपेन्डेन्ट प्रीडर) से की जायेगी। इस हेतु नया स्वतन्त्र फीडर बनाना आवश्यक हो तो उसके निर्माण के होने वाला व्यय स्वयं उपभोक्ता को बहन करना होगा।
 - विपरीत प्रणाली दशाओं/आपातकालीन रोटिंग अथवा विद्युत कटौती की स्थिति में आवश्यक विद्युत/मांग बनाये रखने के लिये उपभोक्ता को संदेश दिया जाता है कि उपयुक्त क्षमता का जनरेटिंग सेट लगा ले, जिसके लिये परिषद की पुर्वानुमति अलग से पास कर सकते हैं।

१५४८ छतु आवश्यक प्रपत्र एवं कार्यवाही –

- गोटर निरीक्षण शुल्क के रूप में शासकीय कोश में 043 विद्युत पर कर एवं शुल्क 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क ₹ 500.00 जमा करना होगा।
- ऊपर लिखी धनराशि जमा करने के पश्चात जमानत व सर्विस लाइन चार्ज रूपये की रसीद की दो छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 100.00 ₹ 0 नॉनजुडिशियल जनरल रेट तथा एग 10 ₹ के निर्धारित हलफनामे पर एक-एक फोटो चर्चाकर किसी राजपत्रित/ग्रामप्रधान/व्लाकप्रमुख/सदस्यविधानसभा/लोकसभा द्वारा प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें।
- आवेदक के आधारकार्ड की एक छायाप्रति लाई, जिस पर फोटो लगाकर प्रमाणित करायें तथा पूरा नाम व पता एवं गोबाइल नं. लिखें।
- कैपीशिटर खरीद की रसीद की छायाप्रति दो प्रतियों में।
- यदि आपको ऊपर लिखी शर्त मान्य हो तो आप कृपया किसी कार्य दिवस में 10 बजे से 01 बजे दोपहर तक किन्हीं दो गवाहों द्वारा इस कार्यालय में उपरिथित होकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें।
- आपको कनेक्शन हेतु लाइन व सबरेशन बनवाने हेतु.....मजदूरों की आवश्यकता होगी, जिसकी व्यवस्था आपको नहीं करनी होगी।
- आपको अपने कनेक्शन के लिए रखयं समर्पित विद्युत गण्डार केन्द्र हरदोई से अपने घर द्वारा सामान की ढुलाई करनी होगी। आपके साथ कनेक्शन का चतुर श्रमिक/स्कल्डलेवर/जायेगा तथा आप द्वारा श्रमिकों की व्यवस्था करने पर शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
- मोटर पर निर्धारित क्षमता का कैपीशिटर लगायें।
- आपको अपना पम्पहाउस बनवाने हेतु आवश्यक ईट, बालू तथा सीमेंट का प्रबन्ध करना पड़ेगा अतः उसी में से उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा अपनी लाइन कनेक्शन हेतु भी देय होगी।

नोट:-

- सीमेंट, बालू तथा मिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्मे तक रंगिल पोल तथा स्टे के लिए होगी जिसकीमात्रा निम्नलिखित दर से होगी, प्रति खम्मा तक सीमेंट 0.85 बोरी, बालू 4.55 घनफिट, मिट्टी 910 घनफिट, सीमेंट 0.35 बोरी, बालू 1.85 घनफिट मिट्टी 3.77 घनफिट।
- आपके कनेक्शन को विजली तभी दी जायेगी जब आपकी वायरिंग पूरी होगी और वी0 एण्ड एल0 फार्म और मोटरडिक्लेशन कार्न (मोटर मुआयना के ट्रेजरी चालान सहित) इस कार्यालय में जमा करें।
- यदि आप उपरोक्त शर्तें इस पत्र पाने के 90 दिन के अन्दर पूरी नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है और आपका आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- कृपया ISI मार्क मोटरों व स्टार्टर का प्रयोग करें।
- अन्तिम खम्मे से आपके परिसर तक जो केविल लगेगा उसका मूल्य आपसे नहीं लिया गया है। जिसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी है।
- लाइन निर्माण में कोई भी विवाद होगा तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- आवेदक द्वारा संयोजन रथल पर कोठरी निर्माण के पश्चात ही संयोजन ऊर्जाकृत हो सकेगा।
- उपरोक्त नियम व शर्तों में परिवर्तन होना सम्भवित है तथा संशोधन नियम शर्तें आपको मान्य होंगी।
- जमायोजनान्तर्गत कनेक्शन लेने पर धनराशि जमा करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त वरीयता क्रमानुसार संयोजन दिया जायेगा।
- आपके परिसर पर मीटर रथापित होने के उपरान्त ही संयोजन निर्गत किया जायेगा। यदि बिना मीटर के कनेक्शन चलता पाया जायेगा तो आपके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए पूर्ण रूप से आप जिम्मेदार होंगे।

पर्यावरण विद्युत वितरण बहुउत्तम, हरदोई

(विनोद कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक: १५०५९ / वि०वि०ख०श०ह०/पी०एफ०

दिनांक: १/३/ 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. उपर्युक्त अधिकारी, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, विद्युत वितरण उपखण्ड शाहावाद/पिहानी/सवायजपुर, हरदोई।

(विनोद कुमार)

अधिशासी अभियन्ता